



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 1,000 रु0/- के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गयी।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवांर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 471/13 धारा-25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण जुगन उर्फ जावेद अहमद पुत्र मकसूद अहमद नि0- मु0 फत्तेपुर कस्बा व थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 01 वर्ष के कारावास व ₹ 1,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



विशेष लोक अभियोजक
सुभाष कुमार श्रीवास्तव



विवेचक-
उ0नि0 मुरलीधर



पैरोकार- थाना बिवांर
का0 श्रीकान्त राजपूत